भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 231
19 नवम्बर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों का अध्ययन

231. श्री विष्णु दत्त शर्माः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के कृषि संबंधी संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) कृषि के क्षेत्र में संकट के समाधान और कृषि क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं।

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): देश में कृषि संकट की समस्या एवं उसके परिणामस्वरूप किसानों की आत्महत्याओं को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने ''भारत में किसानों की आत्महत्या: कारण एवं नीति निर्धारण'' पर सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान (आईएसईसी), बेंगलुरू के माध्यम से कार्य योजना 2016-17 में अखिल भारतीय स्तर पर समन्वित अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में देश के 13 राज्यों को कवर किया गया था जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

इस अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि अनिश्चित मानसून, अपेक्षित जल संसाधनों की कमी तथा कीट एवं बीमारियों के संक्रमण के कारण लगातार खराब हो रही फसलें किसानों के दबाव का मुख्य कारण हैं। इस अध्ययन में उपरोक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्न सुझाव दिए गए हैं:

(क) प्रत्येक किसान को फसल बीमा के अंतर्गत शामिल किया जाए।

(ख) उपलब्ध जल का न्याय संगत उपयोग किया जाए।

(ग) सरकार उत्पादन लागत के साथ उचित लाभ को जोड़ते हुए एमएसपी प्रदान करे।

(घ) सतत आय को ध्यान में रखते हुए किसानों के दबाव को कम करने के लिए फसल और उपक्रम विविधीकरण के माध्यम से जोखिम को कम करना तथा

(ड.) अनौपचारिक ऋण बाजार को विनियमित करना।

सरकार ने उपरोक्त सुझाई गई सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सभी खरीफ एवं रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, हर मेढ़ पर पेड़, मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज माफी स्कीम तथा किसान क्रेडिट कार्ड आदि जैसी अनेक स्कीमें आरंभ की हैं।

(ग): सरकार ने कृषि संबंधी कठिनाईयों का निदान करने के लिए कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने तथा कृषि क्षेत्र में सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास निम्नलिखित हैं:

i. कृषि विश्वविद्यालयों तथा देश में आईसीएआर संस्थानों द्वारा सृजित जानकारी एवं सूचना तक किसानों की पहुंच बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 681 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) का एक नेटवर्क सृजित किया गया है।

ii. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) स्कीम के तहत कृषि विस्तार, कृषि विस्तार के लिए मास मीडिया सहायता, किसान कॉल सेंटर, एग्री-क्लिनिक तथा एग्री-बिजनेस सेंटर, प्रदर्शन/मेलें आदि जैसी पहलें आरंभ करना।

iii. कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएएम)

iv. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा एनसीटी दिल्ली में फसल अपशिष्टों का स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना

v. राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) स्कीम

vi. मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) स्कीम

vii. प्रति बूंद अधिक (पीडीएमसी) फसल